

27/12/24

पत्रावली पेश हुई। वादी आधीनकारी कार एसोसियेशन का कार्य स्थगन किया हुआ है। पीठासीन अधिकारी अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 24/11/25 को पेश हो।

आज्ञा सेरीडर

24/1/25

पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त अवकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 31/1/25 को पेश हो।

आदेश सेरीडर

31/1/25-

पत्रावली पेश हुई। वादी आधीनकारी आदेश 390 पर करण शाकील आदेश में दिनांक 20/2/25 को पेश हो

20/2/25

पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त अवकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 12/3/25 को पेश हो।

आदेश सेरीडर

12/3/25

पत्रावली पेश हुई। वादी एवं वादी आधीनकारी। वादी एवं वादी आधीनकारा को नियमानुसार तीन बार आवाजे लगाई गई। वादी आधीनकारा को कई दिनांक 10/2/25 से साक्षरवादी उद्घरण करने हेतु रिटर्नर अबल उद्घरण किये जा रहे हैं। परन्तु वादी द्वारा उद्घरण वाद सिद्ध करने हेतु साक्षर पेश नहीं किया गया है और ना ही वादी द्वारा साक्षर में साक्षर पेश किये गये हैं। साथ ही वादी एवं वादी आधीनकारा उपस्थित नहीं। वादी एवं वादी आधीनकारा के अनुपस्थित होने से वादी द्वारा उद्घरण वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92(क) अन्वयेन काष्ठतकारी आधीनकारा को अदल (वकील) अदल (वकील) में जारी किया जा रहा है। निर्णय लदे अनुसार सुनाना गया। उचित प्रजा वादी हो। पत्रावली फैसल शुमार ही नमा वाकील प्रस्तुत हो। साथ ही नम्बर से कम हो।

12/3/25

सहायक कलक्टर  
भीलवाड़ा

**न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा**

पीठासीन अधिकारी—अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. सत्यनारायण पिता सोहन लाल महाजन आयु वयस्क निवासी सोलंकी टॉकीज के सामने, सॉपिंग कोम्प्लेक्स, एस०ए०/4,5 शास्त्री नगर भीलवाड़ा तह० एवं जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. ललित कुमार पिता जगदीश प्रसाद महाजन आयु वयस्क निवासी ए— 153 शास्त्री गनर भीलवाड़ा
2. दीपक कुमार पिता जगदीश प्रसाद महाजन आयु वयस्क निवासी ए— 153 शास्त्री गनर भीलवाड़ा
3. दिनेश कुमार पिता जगदीश प्रसाद महाजन आयु वयस्क निवासी ए— 153 शास्त्री गनर भीलवाड़ा
4. भगवती देवी पत्नी जगदीश प्रसाद महाजन आयु वयस्क निवासी ए— 153 शास्त्री गनर भीलवाड़ा
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा।

प्रतिवादीगण

**वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 व 92क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम  
बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरुस्थी**

प्रकरण संख्या 12/2018 राजस्व वाद

वादी अधिवक्ता श्री मांगी लाल सेन अनुपस्थित — इस वाद में आज तारीख 12.03.2025 को पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है—

वादी एवं वादी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 व 92क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

  
(अरुण कुमार जैन)  
**सहायक कलक्टर**  
**भीलवाड़ा**